



2026:AHC-LKO:13914-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

जनहित याचिका संख्या - 449/2024

शिवेंद्र मोहन

.....याची (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, नगर विकास, सिविल सचिवालय, लखनऊ एवं अन्य के माध्यम से

.....विपक्षी (गण)

याची के अधिवक्ता: जितेन्द्र बहादुर, शोभ नाथ यादव

विपक्षी के अधिवक्ता: अमित कुमार द्विवेदी, वी.पी. नाग (अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता), नामित शर्मा

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह

1. यह याचिका याची द्वारा विपक्षियों को महर्षि कॉलोनी की शेष सीवर लाइन बिछाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने और प्रस्तावित सड़क के दोनों ओर नालियों के निर्माण के बाद ही आरसीसी रोड बनाने का निर्देश देने की मांग करते हुए दायर की गई है।



2. याची के अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान याचिका दायर करने के बाद, संबंधित सड़क का निर्माण वांछित कार्रवाई (जैसा कि प्रार्थना की गई थी) किए बिना ही कर दिया गया है, और इसलिए, वर्तमान में यह याचिका निष्प्रभावी हो गई है।
3. याची के लिए इस याचिका में उठाए गए मुद्दे को बाद के घटनाक्रमों के आलोक में (पुनः) उठाने का विकल्प खुला रखते हुए, वर्तमान याचिका निष्प्रभावी हो जाने के कारण खारिज की जाती है।

(जसप्रीत सिंह, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

फरवरी 20, 2026

राकेश/ए.एच.ए.

Translated Version. Not for Legal Use.